भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 818 का उत्तर

कोलकाता में मेट्रो रेल भूमि पर अतिक्रमण

818. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोलकाता के मास्टरदा सूर्य सेन मेट्रो स्टेशन (बांसद्रोनी) के पास मेट्रो रेल से संबंधित भूमि का उपयोग कई वर्षों से अनधिकृत विक्रेताओं द्वारा अनधिकृत बस स्टैंड/अनौपचारिक बाइक पार्किंग क्षेत्र के रूप में किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मेट्रो रेल की भूमि पर ऐसा अनधिकृत कब्जा लगभग 15 वर्षों से जारी है और यदि हां, तो मेट्रो रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि होने के बावजूद लंबे समय तक कार्रवाई न किए जाने के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मास्टरदा सूर्य सेन मेट्रो स्टेशन के परिसर के अंदर और आसपास अतिक्रमित भूमि का वर्ग मीटर या एकड़ में कुल क्षेत्रफल कितना है;

(घ) क्या उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई सर्वेक्षण/सूचना/बेदखली अभियान चलाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) कोलकाता में ऐसे अन्य स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां मेट्रो रेल की भूमि पर अनधिकृत कब्जा है और साथ ही ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए स्टेशन और कॉरिडोर के अनुसार क्या समयबद्ध कदम प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): कोलकाता मेट्रो रेलवे को परिचालनिक उद्देश्य के लिए मास्टरदा सूर्य सेन मेट्रो स्टेशन के निकट लगभग 1420 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता थी। इस भूमि के लिए मुआवजा सात दावेदारों को दिया जाना अपेक्षित है। सात में से, छह दावेदारों को अनुपातिक रूप से मुआवजा वितरित कर दिया गया है। अंतिम और सातवें दावेदार ने मैट्रो रेलवे (निर्माण के कार्यों) अधिनियम,

1978 के तहत सक्षम प्राधिकरण के न्यायलय में अपील की है और मामला न्यायाधीन है। वर्तमान में भूमि रेलवे के कब्जे में नहीं है क्योंकि अधिग्रहित की जा रही भूमि एक अविभाजित संपत्ति है। सभी मालिकों को पूरा मुआवजा देने के बाद ही भूमि रेलवे के कब्ज़े में ली जाएगी।

(ङ): मेट्रो रेलवे की लगभग 1,590 वर्ग मीटर भूमि का कुल क्षेत्रफल अनधिकृत कब्जे में है। अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली अभियान नियमित रूप से चलाए जाते हैं और यह अतिक्रमण हटाने की एक सतत प्रक्रिया है। यदि अतिक्रमण झुग्गियों, झोपड़ियों और अवैध निवासियों के रूप में अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण (क्रम अतिक्रमण) का है तो उन्हें रेल सुरक्षा बल और स्थानीय सिविल प्राधिकरणों के परामर्श एवं सहायता से हटाया जाता है। पुराने अतिक्रमणों के लिए, जो पक्के ढांचों (स्थायी अतिक्रमण) के रूप में हैं जहां अतिक्रमण करने वाला मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (पीपीई अधिनियम, 1971), समय-समय पर यथा संशोधित के तहत कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन/पुलिस की सहायता से अनधिकृत कब्जाधारियों को वास्तविक रूप से हटाया जाता है।

******